

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1232 /2022.लखनऊ:दि0::अगस्त, 18 ,2022

--:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-1207/22 दिनांक 17.08.2022 द्वारा माह-अक्टूबर 2022 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया था। वाराणसी की विभिन्न पीठों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु युगल पीठ गठित की गयी थी जिसमें प्रथम युगल पीठ दिनांक 10.10.2022 से 14.10.2022 तक पीठ-1 वाराणसी एवं पीठ-5 वाराणसी के सदस्य को नामित किया गया था। उसी अवधि में नोएडा में युगल पीठ गठित करते हुए मेरे साथ सदस्य पीठ-5 वाराणसी को नामित किया गया।

अतैव उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय के आदेशांक-1207/2022 दिनांक 17.08.2022 द्वारा परिचालित युगल पीठ कार्यक्रम में निम्न संशोधन किया जाता है।

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1.	पीठ-1 वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5,6 वाराणसी	दिनांक 03.10.22 से 07.10.22	पीठ-1 वाराणसी पीठ-5 वाराणसी	न्यायिक विभागीय

शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

ह0/18.08.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1232 /2022, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3/4/5/6 वाराणसी।
2. मुंसरिम/वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


18.8.2022

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।